



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112021-231404
CG-DL-E-26112021-231404

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4482]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 2021/अग्राहायण 3, 1943

No. 4482]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2021/AGRAHAYANA 3, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2021

का.आ. 4849(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मिजोरम राज्य के सैतुअल जिले में NH102 B के कि.मी. 0 से कि.मी.122 (डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, पी डबल्यू डी वेंग, सैतुअल) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ी करण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मिजोरम राज्य के सैतुअल जिले में NH102 B के कि.मी. 0 से कि.मी. 122 (डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, पी डबल्यू डी वेंग, सैतुअल) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मिजोरम		जिले का नाम: सैतुअल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नगोपा					
गांव का नाम: खावकॉन					
1	KHW -166-VC Pass No 12	निजी	ड्राई	0.0974294(हेक्टेयर)	0.0974294
2	KHW -L68-VC Pass No 47/15	निजी	ड्राई	0.0201491(हेक्टेयर)	0.0201491
3	KHW -R115	निजी	ड्राई	0.0246578(हेक्टेयर)	0.0246578
4	KHW -R65-VC Pass No 54/2015	निजी	ड्राई	0.0132989(हेक्टेयर)	0.0132989
गांव का नाम: खावकौं					
1	KHW -L67-VC Pass No 46/15	निजी	ड्राई	0.0666389(हेक्टेयर)	0.0666389
2	KHW -L94-VC Pass	निजी	ड्राई	0.2403860(हेक्टेयर)	0.2403860
3	KHW -R133-VC Pass No 5/15	निजी	ड्राई	0.0871633(हेक्टेयर)	0.0871633
4	KHW -R4	निजी	ड्राई	0.3213520(हेक्टेयर)	0.3213520
5	KHW -R7	निजी	ड्राई	0.1497590(हेक्टेयर)	0.1497590
6	KHW -R90-VC Pass No	निजी	ड्राई	0.0054040(हेक्टेयर)	0.0054040

	30/2015				
गांव का नाम: एनई ख्वाडुंगसे					
1	NE.KH -R1	सरकारी	ड्राई	1.0764200(हेक्टेयर)	1.0764200
कुल				2.1027	2.1027

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Seling/2020/NH-102B/K-T/LA/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2021

S.O. 4849(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH102 B in the stretch of land from Km. 0 to Km. 122 (Office of the Deputy Commissioner Saitual, PWD Veng, Saitual) in the district of Saitual in the state of MIZORAM, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Deputy Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH102 B in the stretch of land from Km. 0 to Km.122 (Office of the Deputy Commissioner Saitual, PWD Veng, Saitual) in the district of Saitual in the state of MIZORAM

State: MIZORAM		District: Saitual			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Ngopa					
Village: Khawkawn					
1	KHW -166-VC Pass No 12	Private	Dry	0.0974294(Hectare)	0.0974294
2	KHW -L68-VC Pass No 47/15	Private	Dry	0.0201491(Hectare)	0.0201491
3	KHW -R115	Private	Dry	0.0246578(Hectare)	0.0246578

4	KHW -R65-VC Pass No 54/2015	Private	Dry	0.0132989(Hectare)	0.0132989
Village: Khawkawn					
1	KHW -L67-VC Pass No 46/15	Private	Dry	0.0666389(Hectare)	0.0666389
2	KHW -L94-VC Pass	Private	Dry	0.2403860(Hectare)	0.2403860
3	KHW -R133-VC Pass No 5/15	Private	Dry	0.0871633(Hectare)	0.0871633
4	KHW -R4	Private	Dry	0.3213520(Hectare)	0.3213520
5	KHW -R7	Private	Dry	0.1497590(Hectare)	0.1497590
6	KHW -R90-VC Pass No 30/2015	Private	Dry	0.0054040(Hectare)	0.0054040
Village: NE Khawdungsei					
1	NE.KH -R1	Government	Dry	1.0764200(Hectare)	1.0764200
Total				2.1027	2.1027

[F. No. NHIDCL/PMU-Seling/2020/NH-102B/K-T/LA/3A]

RAJESH GUPTA, Director